



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 421 राँची, मंगलवार, 27 आषाढ़, 1945 (श०)
18 जुलाई, 2023 (ई०)

परिवहन विभाग

संकल्प

14 जुलाई, 2023

सं.-परि.वि.(परि.नि.)-01-01/23-766--

विषय: माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No. 277 of 2018 & I.A. No. 5211 of 2018 Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi एवं W.P.(S) No. 461 of 2018 Shankar Prasad Keshri एवं W.P.(S) No. 3961 of 2018 & I.A. No. 10403 of 2018 Kubernath Rai बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य, L.P.A. No. 169 of 2020, The State of Jharkhand v/s The Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & others एवं Cont. Case (Civil) No. 247 of 2020 (Shankar Prasad Keshari & Ors. Versus The State of Jharkhand & Ors.) With Cont. Case(Civil) No. 382 of 2020 (Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation, Ranchi & Anr.) With W.P.(S) No. 886 of 2021 (Nehal Khan Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4422 of 2021 (Manu Prasad Versus The State of Jharkhand & Ors.) With W.P.(S) No. 4434 of 2021 (Bishwanath Prasad Jaiswal Versus The State of Jharkhand & Ors.) में पारित न्यायादेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में दिनांक-01.07.2004 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को सेवा निवृत्ति के उपरांत देय पेन्शन आदि के भुगतान के स्वीकृति के संबंध में ।

झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संबंधित वाद (Civil Appeal No.-7290/1994) माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित होने तथा बिहार एवं झारखण्ड राज्य के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के संबंध में समझौता हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बिहार पुर्नगठन अधिनियम की धारा 62(3) के उपबंधों के अध्याधीन अधिसूचना संख्या-1127, दिनांक- 18.12.2003 एवं अधिसूचना संख्या-54, दिनांक-14.01.2004 द्वारा दिनांक-30.06.2004 के प्रभाव से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के विघटन एवं दोनों राज्यों के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के बँटवारा संबंधी शर्तों एवं प्रावधानों को इंगित किया गया है। इसी प्रसंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा माननीय न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री सगीर अहमद की अध्यक्षता में गठित विवाचक (Arbitration Committee) के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो उभय पक्षों को मान्य था। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-7290/1994 में पारित आदेश दिनांक-12.08.2008 में विवाचक समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए उसमें सन्निहित अनुशंसाओं को यथाशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Writ Petition Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 में दिनांक-24.08.2011 को पारित न्यायादेश में अंकित है कि **"In paragraph 9 of the report, it averred as under. It is stated and submitted that all the employees have been getting regular salaries and up (Sic) February, 2011, there is not (Sic) due".**

"We read the aforesaid paragraphs to mean that all the employees of the Corporation, who were allocated to the State of Jharkhand have been duly absorbed in the service of the State Government there".

इस निर्णयादेश के क्रम में राज्य सरकार की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक Modification Application I.A. No.- 32/2012 दायर किया गया, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-05.10.2012 को पारित आदेश से निरस्त कर दिया गया। दिनांक-24.08.2011 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण Jharkhand State Road Transport Employees Association तथा अन्य कर्मियों द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवमाननावाद संख्या-203/2012, 229/2013, 359/2013 एवं 431/2013 दायर किये गये। सभी अवमाननावादों को पूर्व से दायर Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P(Civil) No.-337/2001 Virendra Sharma Vrs R.S.Sharma & Ors के साथ सम्मिलित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-07.04.2015 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है- **"It is not in dispute that the Petitioners have been absorbed with effect from 24th August 2011 and their dues have been paid and in some of the instances is in the process of being paid keeping the date of absorption in mind".**

उक्त आदेश के साथ सभी Contempt Petitions एवं I.A. को निरस्त कर दिया गया ।

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अवमाननावादों तथा दिनांक-24.08.2011 को पारित आदेश को दृष्टिपथ में रखते हुए परिवहन विभाग द्वारा निगम कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में समायोजित करने की कार्यवाई प्रारंभ करते हुए विभिन्न संकल्पों/आदेशों के माध्यम से विभिन्न चरणों में यह कार्यवाई पूर्ण की गई है, जिसका विवरण निम्नरूपेण है:-

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से सेवा प्राप्त कुल 1124 कर्मियों में से दिनांक-24.08.2011 को झारखण्ड राज्य में 791 कर्मी कार्यरत थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में कार्यरत सभी 791 कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में परिवहन विभाग के निम्नांकित विभिन्न संकल्पों/आदेशों द्वारा निम्न रूपेण समायोजित किया गया है:-

(क) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-20.05.2013 में लिए गये निर्णय के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-598, दिनांक-06.06.2013-सह-गजट संख्या-362 दिनांक-07.06.2013 द्वारा दिनांक-01 मार्च, 2013 को कार्यरत 609 कर्मियों की नियुक्ति(समायोजन) हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नीतिगत निर्णय लेते हुए राज्य सरकार की सेवा में रिक्त पदों के लिए विहित अहर्ता यथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले कुल 340 कर्मियों को विभिन्न विभागों/कार्यालयों में परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-127-133, दिनांक-31.10.2013 द्वारा नियुक्ति (समायोजित) किया गया।

(ख) मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-25.08.2014 में लिए गये निर्णय के आलोक में असमायोजित वैसे निगम कर्मियों जो विहित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते थे उनके मामले में विहित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित उम्र को शिथिल करने का निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग द्वारा संकल्प संख्या-714, दिनांक-27.08.2014-सह-गजट संख्या-406, दिनांक-28 अगस्त, 2014 निर्गत किया गया। इस संकल्प के आलोक में परिवहन विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-104, दिनांक-29.08.2014 एवं आदेश संख्या-105, दिनांक-01.09.2014 द्वारा कुल 203 कर्मियों की नियुक्ति (समायोजन) किया गया ।

(ग) पुनः श्री तपेश कुमार सिंह, Standing Counsel, Hon'ble Supreme Court से प्राप्त मंतव्य के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-132, दिनांक-14.02.2015- सह-गजट संख्या-94, दिनांक-18 फरवरी, 2015 द्वारा विहित शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित उम्र को आवश्यकतानुसार क्षान्त करते हुए दिनांक-24.08.2011 को निगम में कार्यरत कुल 248 कर्मियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत भी राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति(समायोजन) की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-03.03.2015 में घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है। इन 248 कर्मियों को 24.08.2011 की तिथि से समायोजित किया गया ।

3. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-03.03.2015 में घटनोत्तर स्वीकृति हेतु लिये गये निर्णय में यह अंकित किया गया है कि "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायनिर्णय में सन्निहित निर्देशों को अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। चूँकि यह मामला समायोजन का है, न कि नई नियुक्ति का, अतः संबंधित कर्मियों को सेवा में समायोजित करते हुए अनुमान्य वेतनादि एवं अन्य लाभों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय ।"

उक्त निर्णय के आलोक में परिवहन विभाग के संकल्प संख्या-273, दिनांक-09.03.2015-सह-गजट संख्या-158, दिनांक-12 मार्च, 2015 द्वारा राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मियों के नियुक्ति(समायोजन) हेतु निर्गत सभी पूर्व संकल्पों के आलोक में निर्गत तत्संबंधी कार्यालय आदेशों में निर्गत "नियुक्ति" संबंधी शब्द को विलोपित करने का निर्णय लिया गया तथा सभी कर्मों को सेवा में "समायोजित" समझे जाने एवं इनके अनुमान्य वेतनादि अन्य लाभों के भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद् के उक्त निर्णय के आलोक में पुनः संकल्प संख्या-480, दिनांक- 04.04.2016 द्वारा परिवहन विभाग के पूर्व निर्गत संकल्प गजट संख्या-362, दिनांक- 07.06.2013 एवं संकल्प गजट संख्या-406, दिनांक-28.08.2014 के द्वारा समायोजित कर्मों भी **दिनांक-24.08.2011 से ही राज्य सरकार की सेवा में समायोजित समझे जायेंगे** संबंधी निर्णय लिया गया है।

4. इस प्रकार परिवहन विभाग द्वारा अबतक निर्गत संकल्पों के आलोक में दिनांक-24.08.2011 से उस समय कार्यरत सभी 791 निगम कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में समायोजित मान लिया गया है एवं इनके अनुमान्य वेतनादि एवं अन्य लाभों के भुगतान किये जाने का भी निर्णय लिया गया है, परन्तु दिनांक-24.08.2011 को इन्हें देय वेतनमान एवं समायोजन के पश्चात् देय सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के संबंध में स्पष्ट निर्णय/आदेश संसूचित नहीं किया जा सका है। इस हेतु विभिन्न जिलों/कार्यालयों से स्पष्ट दिशा-निर्देश/मार्ग दर्शन की माँग परिवहन विभाग से की जा रही है। इस आलोक में दिनांक-24.08.2011 से समायोजित कर्मियों को देय वेतनमान/सेवानिवृत्ति लाभ इत्यादि के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये जाने की आवश्यकता है।

5. निगम कर्मियों के समायोजन के संबंध में निर्गत प्रथम संकल्प संख्या-598, दिनांक-06 जून, 2013-सह-गजट संख्या-362, दिनांक-06 जून, 2013 में निम्नांकित निर्णय लिये गये थे:-

(संकल्प की कण्डिका-10) - सभी समायोजित कर्मों नयी पेंशन योजना (NPS) जो दिसंबर, 2004 से प्रभावी है, से आच्छादित होंगे। समायोजन के पूर्व अवधि के एवज में क्या-क्या सेवानिवृत्ति लाभ देय होंगे इसके लिए अलग से वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर आदेश निर्गत किया जाएगा।

(संकल्प की कण्डिका-11) - उल्लेखित कर्मियों का समायोजन संकल्प निर्गत तिथि के उपरांत संबंधित कर्मियों द्वारा संबंधित विभाग/कार्यालय में योगदान की तिथि से प्रभावी होगा।

(संकल्प की कण्डिका-12) - उल्लेखित कर्मियों के समायोजन के उपरांत संबंधित कर्मियों को राज्य सरकार के कर्मियों की भांति वेतन-भत्ते एवं अन्यान्य सुविधायें देय होगी। संबंधित कर्मियों का राज्य सरकार में सेवा समायोजित हो जाने पर वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा देय पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण तथा निर्धारण कर वेतन भुगतान किया जाएगा। पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ समायोजित पद पर योगदान की तिथि से अनुमान्य होगा।

द्वितीय संकल्प संख्या-714, दिनांक-27 अगस्त, 2014-सह-गजट संख्या-406, दिनांक-28 अगस्त, 2014 द्वारा समायोजन हेतु निर्धारित विहित शैक्षणिक योग्यता तथा उम्र को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।

तृतीय संकल्प संख्या-132, दिनांक-14 फरवरी, 2015-सह-गजट संख्या-94, दिनांक-18 फरवरी, 2015 द्वारा दिनांक-24.08.2011 से 248 सेवानिवृत्ति/मृत कर्मियों को समायोजित कर राज्य सरकार के कर्मियों की भांति वेतन-भत्ते एवं अन्यान्य सुविधायें दिनांक-24.08.2011 के प्रभाव से देने का निर्णय लिया गया।

चतुर्थ संकल्प संख्या-273, दिनांक-9 मार्च, 2015-सह-गजट संख्या-158, दिनांक- 12 मार्च, 2015 द्वारा सभी संकल्पों/आदेशों में निर्गत नियुक्ति शब्द को विलोपित करने का निर्णय लिया गया तथा सभी कर्मों को सेवा में समायोजित समझे जाने एवं अनुमान्य वेतनादि लाभों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

पंचम संकल्प संख्या-480, दिनांक-04.04.2016 द्वारा सभी समायोजित कर्मियों को दिनांक-24.08.2011 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित समझे जाने का निर्णय लिया गया है।

इस प्रकार सभी समायोजित कर्मियों को राज्य सरकार की सेवा में दिनांक- 24.08.2011 से समायोजित कर लिया गया है एवं इस तिथि से इन्हें अनुमान्य वेतनादि लाभों का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है।

6. उपरोक्त के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर Civil No. 337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. 7290/1994 एवं Contempt Petition (Civil) No. 411/2013 in W.P.(Civil) No.337/2001 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-24.08.2011 एवं दिनांक-07.04.2015 को पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य में दिनांक- 24.08.2011 से राज्य सरकार की सेवा में समायोजित निगम कर्मियों को देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया था।

7. W.P.(S) No. 2115/2015 Yogendra Mahto एवं 64 अन्य v/s The State of Jharkhand & others में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-08.03.2016 के पारित आदेश के विरुद्ध L.P.A. No.-264/2016 I.A. No. 2430 & 4106/2018, Yogendra Mahto & others v/s The State of Jharkhand में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक- 29.01.2020 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का Operative Portion "We accordingly, hold the appellants and the other similarly situated employees, entitled to the benefits of 5th Pay Revision Committee recommendations w.e.f. 01.07.2004, i.e., after the dissolution of the Corporation on 30.06.2004, and 6th Pay Revision Committee recommendations from the dates applicable to the other employees of the State of Jharkhand. The respondent State is accordingly, directed to calculate the dues of the appellants and the other similarly situated employees, including their retiral dues accordingly, and to make the payment of all their dues, including the retirement benefits, positively within a period of six months from today".

8. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Special Leave to Appeal (C) No(S). 3386/2021 दायर किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-01.03.2021 को आदेश पारित किया गया। आदेश का Operative Portion "Heard learned senior counsel for the petitioners. We are not inclined to interfere with the impugned order. The special Leave Petition is, accordingly dismissed".

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक-01.03.2021 के आदेश के विरुद्ध Review Petition R.P.(C) No. 785/2021 in SLP(C) No. 3386/2021 दायर किया गया, जो दिनांक-18.08.2021 को Disposed कर दिया गया। उक्त का Operative Portion "The review petition is dismissed in terms of the signed order".

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के विरुद्ध Curative Petition No. 19/2022 in RPC No. 785/2021 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-09.11.2022 को न्यायादेश पारित हुआ जिसका Operative Portion:-

"1. The Curative Petition is dismissed in terms of the signed order.

2. Pending application, if any, stands disposed of."

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायादेशों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर S.L.P.(C) No.-20636-37/2022 The State of Jharkhand and Others v/s Jharkhand State Non-Gazetted Employees Federation & Ors. में दिनांक-03.03.2023 को पारित न्यायादेश *"In that view of the matter, and particularly when these petitions are being dismissed today, we deem it just and appropriate to grant further time to the petitioners to carry out complete compliance. For that matter, the petitioners are granted further time to carry out compliance within four months from today. For what has been provided hereinabove, we would request the High Court to keep the proceedings in the pending contempt matter in abeyance for a period of four months so as to give the petitioners adequate time to carry out complete compliance and any requirement of personal presence of the officers concerned may be dispensed with. It would be required of the petitioners to report compliance to the High Court within four months from today. Subject to the relaxations and requirements foregoing, these petitions stand dismissed. Pending applications also stand disposed of."* उक्त न्यायादेश के आलोक में विभागीय संकल्प सं.-122, दिनांक-14.02.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न निर्णय लिये जाने का प्रस्ताव है ।

- (i) 791 समायोजित निगम कर्मियों की पूर्व की सेवा की गणना वैचारिक रूप से करते हुए सभी सेवांत लाभों का भुगतान वास्तविक रूप से दिनांक-01.07.2004 से किया जाएगा ।
- (ii) सभी समायोजित निगम कर्मियों का सेवांत लाभ यथा उपार्जित अवकाश के बदले 300 दिनों का नकद भुगतान की गणना दिनांक-01.07.2004 से किया जाएगा ।

12. विभागीय संकल्प सं.-122, दिनांक-14.02.2023 को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

13. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति परिवहन विभाग के संलेख ज्ञापांक-750, दिनांक-07.07.2023 के क्रम में दिनांक-11.07.2023 की बैठक में मद सं.-15 के रूप में दी गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सचिव
परिवहन विभाग ।
